

क्र. 5/17 स.स.प. 224

30/10

पत्राचार पेश हुई। पत्राचार का अन्वेषण किया गया। जै (सापत) के अरिनेटिस पर (प्राथमिक) की रिपोर्ट दिनांक 20/12/17, 18/1/18 व 12/5/18 के अनुसार जै (सापत) का जै पत्राचार के कारण वार्षिक क्रम में कलमपत्रा जाहि (क्रि) है। ऐसी रिपोर्ट में उक्त का न्यायालय में प्रमाणित का क्रि का प्रमाण नहीं है। जै (सापत) का पत्राचार उक्त उक्त न्यायालय में प्रमाणित जा सकता है। कलम उक्त में ऐसी स्तर पर आविर्भाव हो जा रही है। जिला मुख्यालय कलम (क्रि) के अन्वेषण किया जाय। उक्त नम्बर पर (क्रि) उक्त उक्त का प्रमाणित वार्षिक वार्षिक प्रमाणित पत्राचार। जिनमें आज उक्त न्यायालय में प्रमाणित



स.स.प. कलम ए.व.म.  
जिला मजिस्ट्रेट  
अलवर (राज.)